

क्रि० मिस० केश नं०- 594 /2017

14/12/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरंत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि एक वर्ष बीत चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रमारी से शक्ति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

9 July 2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोंडा।

9 July 2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोंडा।